

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

प्रेस-नोट

दिनांक:- 12.09.2025

ऑनलाईन विस्तृत आवेदन के संबंध में

माध्यमिक शिक्षा विभाग हेतु प्राध्यापक एवं कोच (स्कूल शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा-2024 के अंतर्गत प्राध्यापक-अंग्रेजी, हिन्दी एवं गणित हेतु क्रमशः दिनांक 20.08.2025, 22.08.2025 एवं 26.08.2025 को जारी विचारित सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु प्रदत्त पूर्व अवसरों के दौरान जिन अभ्यर्थियों द्वारा विस्तृत आवेदन प्रस्तुत नहीं किये गये। उन अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 13.09.2025 से 18.09.2025 (रात्रि 11:59) तक अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है।

साथ ही प्राध्यापक-भूगोल विषय की दिनांक **04.09.2025** तथा प्राध्यापक-संस्कृत विषय की दिनांक **09.09.2025** को घोषित विचारित सूची में सफल अभ्यर्थी भी निम्नांकित दिशा-निर्देशों की पालना करना आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें :-

विचारित सूची में अस्थाई रूप से सम्मिलित किये गये सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने SSO ID के माध्यम से recruitment portal पर My Recruitment Detailed Form Cum Scrutiny Apply Now का चयन कर अपना विस्तृत आवेदन पत्र ऑनलाईन भरें। ऑनलाईन विस्तृत आवेदन-पत्र भरने हेतु आयोग द्वारा भूगोल विषय हेतु दिनांक 11.09.2025 से दिनांक 17.09.2025 (रात्रि 11:59) तक तथा संस्कृत विषय हेतु दिनांक 12.09.2025 से दिनांक 18.09.2025 (रात्रि 11:59) तक भरे जा सकते हैं।

इस क्रम में यह भी सूचित किया जाता है कि विस्तृत आवेदन-पत्र व दस्तावेजों की जाँच संबंधित विभाग (माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर) द्वारा ही की जायेगी। अतः ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने व सबमिट करने के उपरांत प्रिन्ट ऑप्शन पर जाकर सम्पूर्ण विस्तृत आवेदन पत्र को 02 प्रतियों में प्रिन्ट कर अपने पास संभाल कर रखें एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान, बीकानेर की सूचना के अनुसार निर्धारित दिनांक, समय व स्थान पर विस्तृत आवेदन-पत्र (दो प्रतियों में) मय समस्त मूल दस्तावेजों व स्वयं सत्यापित प्रतियों सहित उपस्थित हों। इस हेतु संबंधित विभाग द्वारा ही उचित माध्यम से अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचित कराने की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा अलग से कोई सूचना अभ्यर्थियों को प्रेषित नहीं की जायेगी। विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं होने पर अभ्यर्थी को अपात्र मानते हुए परिणाम में विचारित नहीं किया जायेगा।

संबंधित विभाग से दस्तावेज जाँच/सत्यापन उपरांत, पात्र अभ्यर्थियों की सूची विभाग द्वारा आयोग को भेजी जायेगी, जिसके उपरांत आयोग द्वारा परिणाम जारी कर चयनित अभ्यर्थियों के नाम नियुक्ति हेतु संबंधित विभाग को अभिस्तावित किये जायेंगे।

(रामनिवास मेहता)
सचिव